नियम और शर्तें

आदित्य विजन के खरीदें और जीतें 2024 में भाग लेने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों से सहमत होना आवश्यक होगा

1. किसी भी विवाद की स्थिति में आदित्य विजन लिमिटेड के प्रबंधन का निर्णय अंतिम और विजेताओं के लिए बाध्यकारी होगा। विवाद की स्थिति में कोई भी विवाद केवल पटना अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। राज्य में आदित्य विजन की किसी भी शाखा की भागीदारी उसके पटना स्थित प्रधान कार्यालय के माध्यम से की गई मानी जाएगी। अतः इसके किसी भी शाखा के स्थान से प्रतिभागियों को कोई कानूनी सहायता नहीं मिलेगी।
2. पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली कार और मोटरबाइकों के मॉडल, रंग, ब्रांड के संबंध में आदित्य विजन लिमिटेड के प्रबंधन का निर्णय अंतिम और विजेताओं पर बाध्यकारी होगा।
3. आवासीय फ्लैट के मेगा पुरस्कार के संबंध में स्थान, आकार या आंतरिक सज्जा के संबंध में आदित्य विजन लिमिटेड के प्रबंधन का निर्णय अंतिम और विजेता पर बाध्यकारी होगा। आदित्य विजन लिमिटेड बिल्डर/डेवलपर के साथ बातचीत के अनुसार आवासीय फ्लैट की केवल मूल कीमत का भुगतान करेगा तथा विजेता को पंजीकरण, स्टांप शुल्क, टैक्स, सामान्य क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, रख–रखाव या आवासीय फ्लैट पर देय कोई अन्य शुल्क स्वंय वहन करना होगा।
4. विजेताओं को मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार पुरस्कार का दावा करने से पहले देय आयकर भुगतान प्रमाण जमा करना होगा।
5. विजेताओं को पुरस्कार का दावा करने के लिए खरीद के मूल बिल, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और देय टैक्स जमा चालान के साथ अपना मूल खरीद बिल और जीत के ड्रा कूपन को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रतिभागी द्वारा खरीदें और जीतें कूपन के खो जाने की स्थिति में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे पुरस्कार का दावा करने के लिए खरीदें और जीतें कूपन और बिक्री चालान को अपने पास सुरक्षित रखें। इनके मूल स्वरूप के बिना किसी भी पुरस्कार के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को गम्भीरता से अनुपालन के लिए इस शर्त को नोट करना होगा। इन शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई कानूनी उपचार/सहायता उपलब्ध नहीं होगा और प्रतिभागियों का कोई भी स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम का दबाव निरर्थक और प्रभावहीन होगा होगा तथा इस योजना की शर्तों के विरुद्ध होगा। सामान के लाने–ले जाने में मूल प्रतियों के खो जाने का रिपोर्ट स्वीकार नहीं जायेगा। पुरस्कार का दावा करने के लिए पुलिस के पास कोई सनहा/शिकायत या नुकसान के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आदित्य विजन लिमिटेड किसी भी भविष्य के विज्ञापन/प्रचार प्रयोजन के लिए पुरस्कार विजेताओं के फोटो, नाम, मोबाइल नंबर का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी पुरस्कार को स्वीकार करने पर विजेता के नाम, मोबाइल नंबर और या तस्वीर का उपयोग आदित्य विजन लिमिटेड द्वारा संपादकीय, विज्ञापन, प्रचार, विपणन सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म या रेडियो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिना शर्त सहमति माना जाएगा।
7. आवासीय फ्लैटों में सेः (1) बिहार में आदित्य विजन आउटलेट्स से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए पटना में 1 आवासीय फ्लैट आरक्षित है (2) झारखंड में आदित्य विजन आउटलेट से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के

लिए रांची में 1 आवासीय फ्लैट आरक्षित है। (3) उत्तर प्रदेश में आदित्य विजन आउटलेट से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए वाराणसी में 1 आवासीय फ्लैट आरक्षित है।

8. ड्रा की तिथि के अनुसार क्रमशः आदित्य विजन, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रबंधन द्वारा या एच्छिक रूप से चुने गए कई आउटलेटों के लिए कुछ नंबर की कारों और मोटरबाइकों के लिए ड्रा आरक्षित करेगा। शेष कारों और मोटरसाइकिलों के लिए, ड्रा क्रमशः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सभी खरीदें और जीतें कूपन के लिए समान होगा। चयनित आउटलेट्स के लिए कार और मोटरबाइकों के निश्चित आरक्षण के विवरण के लिए, कृपया ड्रॉ की तारीख से पहले कंपनी की वेबसाइट www.adityavision.in देखें क्योंकि यह ड्रॉ की तारीख के अनुसार आउटलेट्स की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है।

9. बिहार के खरीदें और जीतें पुरस्कारों के लिए ड्रा तिथि 31.12.24 है, झारखंड के पुरस्कार खरीदें और जीतें के लिए 03.01.2025 है और उत्तर प्रदेश के खरीदें और जीतें पुरस्कारों के लिए ड्रा तिथि 06.01.2025 है। विजेताओं की सूची, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के अलावा, 01.01.2025 से बिहार में आदित्य विजन के सभी आउटलेट्स पर, 04.01.2025 से झारखंड में आदित्य विजन के सभी आउटलेट्स पर और 07.01.2025 से उत्तर प्रदेश में आदित्य विजन के सभी आउटलेट्स और कंपनी की वेबसाइट www.adityavision.in पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

10. विजेताओं को 28.02.2025 को या उससे पहले अपने पुरस्कारों का दावा करना होगा। 28.02.2025 तक दावा नहीं किए गए पुरस्कारों को आदित्य विजन के विवेक पर जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. जहां विजेताओं ने 28.02.2024 को या उससे पहले आयकर नियमों के अनुसार पुरस्कार का दावा करने के लिए विधिवत टैक्स जमा कर दिया है और उनके पास वैध जमा चालान है, उन्हें 31.03.2025 को या उससे पहले आदित्य विजन से पुरस्कार प्राप्त करना होगा। . यदि विजेताओं द्वारा 31.03.2025 को या उससे पहले पुरस्कार नहीं लिया जाता है, तो पुरस्कार जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी टैक्स वापसी दावे पर टैक्स जमाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह सीधे वैधानिक प्राधिकारी से दावा करे और कंपनी किसी भी रिफंड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12. पुरस्कार न बदला जा सकेगा और न दूसरे को हस्तांतरित किया जयेगा और न नकद या किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जायेगा ।

13. खरीदें और जीतें योजना में भागीदारी कंपनी के शोरूम में उत्पादों के खरीदार के विवेक पर है और ग्राहक इस योजना में भाग नहीं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीदें और जीतें ड्रॉ कंपनी द्वारा ग्राहक के लिए पुरस्कार एवं उनके प्रोत्साहन का कार्यक्रम है और इसे किसी लॉटरी या जूआ के रूप में नहीं माना/समझा जाना चाहिए।

14. ड्रा की विधि सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

15. खरीदे और जीते योजना अवधि के दौरान शोरूम के कामकाज को प्रभावित करने वाली किसी अप्रत्याशित घटना या सरकार द्वारा अधिसूचित लॉकडाउन/प्रतिबंध की स्थिति में, आदित्य विजन लिमिटेड का प्रबंधन अपने विवेक से इस खरीदे और जीते योजना को एक विकल्प के साथ विस्तारित करने तथा इस खरीदें और जीतें योजना को अगले वर्षों की खरीदें और जीतें योजना के साथ विलय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

    विस्तृत नियम एवं शर्तों और इसके हिंदी संस्करण के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.adityavision.in देखें या क्यूआर कोड स्कैन करें।